राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) घड़साना

पत्रावली संख्या :- 3/2015 व 4/2015 निर्णय दिनांक :- 16.10.2017

उनवान :- (1) प्रा. पत्र श्री सुखविन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह जट सिख सा. खरबलावाली तह. श्रीगंगानगर
(2) प्रा. पत्र श्री शोभादीपसिंह पुत्र जगरूपसिंह आदि सा. 19ML तह. श्रीगंगानगर

— निर्णय —

प्रकरण में संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि श्री नाजरसिंह पुत्र श्री बन्तासिंह जटसिख द्वारा चक 17 KWM की मु.नं. 57 पटवार मुरब्बा 112/28 की 6.199 हैक्टर अपनी खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत के अनुसार वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु श्री सुखविन्द्रसिंह व श्री शोभादीपसिंह आदि ने दो अलग-अलग प्रार्थनापत्र पेश किए। श्री शोभादीपसिंह पुत्र जगरूपसिंह व श्री गुरविन्द्रसिंह पुत्र हरबंससिंह के प्रार्थनापत्र के साथ उपपंजियक घड़साना के क्रमांक 2012000061 दिनांक 1.6.2012 पर पंजिकृत वसीयत के अनुसार वसीयतकर्ता द्वारा उपरोक्त दर्ज भूमि अपने भाई के पोतों प्रार्थीगण शोभादीपसिंह व गुरविन्द्रसिंह के पक्ष में वसीयत की गई। इस प्रार्थनापत्र के आधार पर पत्रावली सं. 4/2015 संधारित की गई। श्री सुखविन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ दिनांक 5.8.14 को नाजरसिंह द्वारा बंद वसीयत कस्टडी में रखी हुई को उसकी मृत्यु उपरांत जिला पंजीयक श्रीगंगानगर से खुलवाई जाकर दिनांक 12.1.15 को पंजीकृत की गई वसीयत की प्रति पेश की जिसमें वसीयतकर्ता ने उपरोक्त भूमि अपने भतीजों बलविन्द्रसिंह-सुखविन्द्रसिंह-जगरूपसिंह व हरबन्ससिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर दर्ज की है। इस प्रार्थनापत्र के आधार पर इस कार्यालय में पत्रावली सं. 3/2015 संधारित की गई। चूंकि दोनों पत्रावलियाँ एक ही वसीयतकर्ता की एक ही भूमि से सम्बन्धित है अतः पत्रावली सं. 4/2015 को पत्रावली सं. 3/2015 के साथ संलग्न किया गया ताकि एक ही निर्णय किया जा सके। प्रकरण में सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र "सीमा सन्देश" के दिनांक 30-1-2015 के अंक में पृष्ठ 4 कालम 8 में छपवाई गई। रिपोर्ट पटवारी प्राप्त की गई। प्रकरण में सुखविन्द्रसिंह की तरफ से श्री सतपालबिश्नोई व श्री लक्ष्मण चौहान एडवोकेट्स ने तथा श्री शोभादीपसिंह व गुरविन्द्रसिंह की ओर से श्री सीताराम याक व श्री दौलतराम ढुंढाणा एडवोकेट्स ने वकालतनामे पेश किए। शोभादीपसिंह व गुरविन्द्रसिंह की तरफ से वसीयत के गवाहों के बयान नहीं करवाए गए जबकि सुखविन्द्रसिंह की तरफ से वसीयत के गवाहों संदीपसिंह व भूपेन्द्रसिंह के बयान दर्ज करवाए गए। शोभादीपसिंह व गुरविन्द्रसिंह ने दिनांक 15/4/15 को प्रार्थनापत्र पेश कर दो वसीयतें होने से इन्हें सिविल न्यायालय से प्रोबेट करवाने की आवश्यकता बताते हुए इस कार्यालय से कार्यवाही रोकने का निवेदन किया गया। → लगातार →

तहसीलदार
तह. घड़साना

→ लगातार → तथा दिनांक 20.4.15 को प्रार्थनापत्र पेश कर पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करना दर्ज करते हुये भेजने की मांग की गई। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर द्वारा मुन्तकिली प्रकरण सं. 23/2015 अनुवानी शेरमदीपसिंह आदि बनाम बलविन्दरसिंह आदि मे दिनांक 12.12.15 को निर्णय कर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। दिनांक 28.12.15 को उक्त निर्णय की प्रति संलग्न कर सुखविन्दरसिंह पुत्र जोगिन्द्रसिंह जटसिख सा. बलतावाली तहसील श्रीगंगानगर ने वसीयत दिनांक 5/8/14 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत प्रार्थनापत्र पेश किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान दिनांक 13.9.17 को शेरमदीपसिंह आदि के वकील श्री लीलाराम दास ने हाजिर होकर निवेदन किया कि उनके पक्षकार वर्तमान मे उनके सम्पर्क में नहीं है अतः न्यायालय स्तर पर उन्हे नोटिस देकर तलब किया जावे। इस पर शेरमदीपसिंह व गुरविन्दरसिंह को नोटिस जारी कर गर्ग इन्टरप्राइजेज तहसील घड़साना के कोरियर द्वारा दिनांक 16.9.17 को नोटिस भेजे गए। इन नोटिसों को भिजवाने की कोरियर की रसीद क्र. 4873 व 4874 दिनांक 16.9.17 शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में दो वसीयतें प्रस्तुत की गई है। दिनांक 5.8.14 की वसीयत में यह दर्ज है कि "यह कि इससे पूर्व में मिकर ने एक वसीयत करवाई थी उसे मैं कैन्सिल करता हूँ तथा अब यही मेरी पहली व आखरी वसीयत है।" वसीयत में दर्ज उक्त वाक्य के अनुसार दिनांक 5.8.14 से पूर्व की वसीयत स्वतः ही निष्प्रभावी है। ऐसी स्थिति वसीयत दिनांक 5-8-14 ही एक मात्र प्रभावी वसीयत रही है। शेरमदीपसिंह आदि ने वसीयत दिनांक 5-8-14 के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। मुन्तकिली प्रार्थनापत्र खारिज होने के उपरान्त शेरमदीपसिंह आदि ने प्रकरण में किसी भी प्रकार से अपना पक्ष पेश नहीं किया है। इतना समय बीत जाने व कोरियर द्वारा नोटिस भेजने के उपरांत भी प्रकरण में अपना पक्ष पेश करने हेतु उपस्थित नहीं आये है अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण में कार्यवाही की जानी है।

प्रकरण में वसीयत दिनांक 5.8.14 के गवाहो के बयान हो चुके हैं। रिपोर्ट पटवारी मे वसीयत मे दर्ज भूमि वसीयतकर्ता को पुनः आवंटन होना, सन् 1995 में ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होना, कोई स्थगन/विवाद न होना दर्ज है। अतः इस निर्णय पर स्वतः ही पहुंचा जा सकता है कि वसीयत में दर्ज कृषि भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित थी स्वअर्जित कृषि की वसीयत करने का वसीयतकर्ता को पूर्ण अधिकार था।

→ लगातार →

तहसीलदार (भू.अ.)
घड़साना

Scanned by CamScanner

→ लगातार → चूंकि वसीयतकर्ता ने वसीयत में स्वयं को अविवाहित होना दर्ज किया है। ऐसी स्थिति में वसीयतकर्ता ने अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि की वसीयत अपने भाई जीतसिंह के चार पुत्रों के पक्ष में बहिस्साबराबर की है जिसे करने का उसे पूर्ण अधिकार था।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र सुखविन्दरसिंह स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थनापत्र श्रीनाथसिंह आदि का अस्वीकार किया जाता है। वसीयत दिनांक 5.8.2014 में दर्ज के अनुसार वसीयतगृहिताओं बलविन्दरसिंह-सुखविन्दरसिंह जगरूपसिंह व हरबंससिंह पि. जीतसिंह के पक्ष में चक 17 KWM के मु. नं. 57 प. नं. 112/28 रकबा 6.199 है. का इन्तकाल दर्ज ~~कियाजावे~~। निर्णय आज दिनांक 16.10.17 को सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु प्रति पटवारी हल्का को भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो।

16.10.2017

तहसीलदार (भू. अ.)
तह. घड़साना

(चन्दनमल
तहसीलदार घड़साना)